मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं0सं0-म0नि0 IV/लेखा/306/2021-22/ 22 (आ0) /मत्स्य/राँची/दिनांक 22.03.2023

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप मत्स्य निदेशक (उत्क्रमित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी) दुमका,
जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प0सिंहभूम चाईबासा एवं धनबाद।
जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला।

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कुल मो0 3,06,000/- रु0 मात्र (तीन लाख छः हजार) रूपये मात्र के निधि का अतिरिक्त आवंटन।

प्रसंग : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 सं0 20 आ0 (वि0) दिनांक 08.04.2022 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0 220 तथा मत्स्य निदेशालय आवंटन सं0 01 (आ0) 11.04.2022, आवंटन सं0 10 (आ0) दिनांक 21.09.2022, आवंटन सं0 11 (आ0) दिनांक 06.12.2022, आवंटन सं0 16 (आ0) दिनांक 10.01.2023 एवं आवंटन सं0 18 (आ0) दिनांक 22.02.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 20 आ0 (वि0) दिनांक 08.04.2022 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0 220 के आलोक में मो0 3,06,000/- रु0 मात्र (तीन लाख छः हजार) रूपये मात्र संलग्न विवरणी अनुरुप निधि का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाये।

3. (क) वित्त प्रभाग के परिपत्र सं0-245/बजट/दिनांक 30.03.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।

(ख) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन किया जाय।

4. आबंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी0भी0न0 एवं तिथि के साथ टेजरी एम0आई0एस0 से अवश्य मिलान (रिकान्सीलेशन) करा लिया जाए।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रुप से अंकित हो, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष 22-23 के प्रत्येक महिने का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना सम्बन्धित **DDO** का दायित्व होगा।

6. असमायोजित अग्रिम, एल0पी0सी0/कार्यालय से हो तो उसका ससमय स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमित समायोजन होना चाहिए।

7. आबंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

8. सामग्री का कय जेम अथवा स्थापित प्रकिया का पालन कर ही किया जाये। पूर्व स्टोर/स्टॉक पंजी का तथा स्टाक का भौतिक सत्यापन अवश्य किया जाय। Dead/Useless सामग्री का निष्पादन स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय।

9. (क) सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मी के दावों का नियमानुसार निष्पादन समयबद्ध हो ताकि न्यायालय/दंण्डात्मक शुल्क नहीं देना हो अन्यथा इसकी वसूली दोषी कर्मी से होगी।

(ख) सभी कार्यरत कर्मियों के सेवापुस्त का सत्यापन कर, अवकाश लेखा/अन्य प्रविष्टि अद्यतन करें तथा उसका हस्ताक्षर भी प्राप्त करें।

10. यात्रा भत्ता का भुगतान वित्त विभाग/प्रभाग के पत्रांक-3336/वि0 दिनांक-17.09.2014 एवं 737/वि0 दिनांक 27.03.2018 के अनुरुप किया जायेगा। इस पर ज्यादा सावधानी बरती जाय। नियमित रुप से राशि व्यय किया जाय। इसमें किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा स्वीकृति पदाधिकारी दोषी होंगे।

11. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना। अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए, साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-<u>ऑनलाईन आवंटन</u>

विश्वासभाजन

22/3/23

(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची.

सं0सं0-म0नि0 IV/लेखा/306/2021-22/ 22 (अ0प्र0) /मत्स्य/रॉची/दिनांक 22.03.2023

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, रॉची /उप मत्स्य निदेशक एवं संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/3/23

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन

क0	स्थापना का नाम	वेतन	व्यवसायिक सेवाएँ	मोटरवाहन	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050000101000101	53S24050000101000329	53S24050000101000441	
1	2	3	4	5	6
1	उप मत्स्य निदेशक (उत्क्रमित जि0 म0 पदा0–सह–मु0 कार्य0 पदा0) दुमका	0	0	60000	**60000**
2	जि0 म0 पदा0–सह–मु0 कार्य0 पदा0, प0 सिंहभूम, चाईबासा	86000	0	0	**86000**
3	जि0 म0 पदा0, सरायकेला–खरसॉवा	0	100000	0	**100000**
4	जि0 म0 पदा0–सह–मु0 कार्य0 पदा0, धनबाद	0	0	60000	**60000**
	कुल आवंटन	**86000**	**100000**	**120000**	**306000**

कुल आवंटन (शब्दों में)–मो0 तीन लाख छः हजार रु0 मात्र ।

22/3/23

निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, रॉची.

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - IV/306/22-23/VI/22 दिनांक - 22-Mar-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050000101000101 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	95954	SGHFSH001 JAYANT RANJAN DIST.FISHERIES OFFICER CUM CEO 01 - वेतन	86,000.00 रुपये छियासी हजार
2	S 53 24050000101000329 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	95959	SKLAHY017 RAUSHAN KUMAR DISTRICT FISHERIES OFFICER SAR 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	100,000.00 रुपये एक लाख
3	S 53 24050000101000441 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	95961	DMKFSH001 AMARENDRA KUMAR DEPUTY DIRECTOR FISHERIESDUMKA 41 - मोटर वाहन	60,000.00 रुपये साहठ हजार

योग: 246,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो लाख छयालीस हजार

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

पत्र संख्या - IV/306/22-23/VI/22 दिनांक - 22-Mar-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 53 24050000101000441 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	95964	DHNFSH001 MD. MUJAHID ANSARI DIST.FISHERIES OFFICER DHANBAD 41 - मोटर वाहन	60,000.00 रुपये साहठ हजार

योग: 60,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन लाख छः हजार 306,000.00

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 001 - निदेशन तथा प्रशासन & 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050000101000101	53S24050000101000329	53S24050000101000441	Total
					वेतन	व्यावसायिक सेवाएँ	मोटर वाहन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Singhbhum West	SGHFSH001	Jayant Ranjan	Dist.Fisheries Officer Cum Ceo	₹86,000.00 (95954)	₹0.00	₹0.00	₹86,000.00
2	Saraikela	SKLAHY017	Raushan Kumar	District Fisheries Officer Sar	₹0.00	₹1,00,000.00 (95959)	₹0.00	₹1,00,000.00
3	Dumka	DMKFSH001	Amarendra Kumar	Deputy Director Fisheriesdumka	₹0.00	₹0.00	₹60,000.00 (95961)	₹60,000.00
4	Dhanbad	DHNFSH001	Md. Mujahid Ansari	Dist.Fisheries Officer Dhanbad	₹0.00	₹0.00	₹60,000.00 (95964)	₹60,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹3,06,000.00 (rhu yk[k N% gtkj) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

22(अप्र)
22/03/2023

22/3/23
(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES